न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुंतला आरएएस

मु0नं0 – 70/2021 (2021/109)

रमेश कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र धनपत उम्र 63 वर्ष निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र पुत्र हरिसिंह उम्र 33 वर्ष निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. मुकेश पत्नी स्व. लीलाधर पुत्र हरिसिंह उम्र 27 वर्ष निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. कार्तिक पुत्र स्व. लीलाधर पुत्र हरिसिंह उम्र 10 वर्ष
5. प्रदीप पुत्र स्व. लीलाधर पुत्र हरिसिंह जाति जाट उम्र 8 वर्ष नाबालिगान जरिये माता मुकेश पत्नी स्व. लीलाधर पुत्र हरिसिंह जाति जाट उम्र 27 वर्ष निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण प्रथम: वादी

वकील श्री श्रवण सहारण द्वितीय : प्रतिवादी सं0 1 ता 5

निर्णय दिनांक : 17/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एन टी आर के खाता सं. 98/31 के मु.न. 4 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 20, 21/1, 22 ता 25, कुल किता 19 की 4.680 है. नहरी एवं मु.नं. 5 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 है. जिसमें नहरी 6.300 है. रास्ता 0.0250 है.एवं मु.न. 6 के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल 12.017 हैक्टर नहरी 11.9920 हैक्टर मय रास्ता 0.0250 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि अपने पिता धनपत से विरासतन प्राप्त हुई है, जो संयुक्त परिवार की सहदायिक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 का जन्म से हक व हिस्सा है। सहदायिकी कृषि भूमि की आय से संयुक्त परिवार द्वारा कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि के उपयोग एव सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में असुविधा हो रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 6 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी रमेश कुमार ने दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–1, वारिस प्रमाण पत्र संरपच ग्राम पंचायत नेठराना प्रदर्श –2, जमाबंदी चक 8 एन टी आर सम्वत 2077–80 खाता संख्या 98/31 प्रदर्श–03, जमाबंदी चक 8 एनटीआर सम्वत 2029–38 प्रदर्श 04 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने 8 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 8 नेठराना सम्वत 2029–38 प्रदर्शित करवाई है जिससे उक्त वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 02 में हरिसिंह के वारिसान में पत्नि मोहनी व दो पुत्र रमेश कुमार, राजेन्द्र मोजूद एवं एक पुत्र लीलाधर फौत के विधिक वारिसान पत्नी मुकेश एवं दो पुत्र मुकेश व प्रदीप होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एन टी आर के खाता सं. 98/31 के मु.न. 4 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 20, 21/1, 22 ता 25, कुल किता 19 की 4.680 है. नहरी एवं मु.नं. 5 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 है. जिसमें नहरी 6.300 है. रास्ता 0.0250 है.एवं मु.न. 6 के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल 12.017 हैक्टर जिसमें नहरी 11.9920 हैक्टर व रास्ता 0.0250 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 5 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त घोषणा अनुसार वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़